न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी :– हरभान मीणा, आर.ए.एस

अपील संख्या 115/2017/75 एलआर एक्ट

मांगी खां पुत्र बलुखां जाति मुसलमान निवासी कलासर तहसील रावतसर।

–अपीलान्ट

–: बनाम :–

1. स्टेट ऑफ राजस्थान ।
2. मु0 जड़ाव बेवा रिधुराम हरी जनसा निवासी कलासर तहसील रावतसर (फौत)

2/1 लालराम पुत्र चेतनराम जाति चमार निवासी कलासर तहसील रावतसर।

2/2 ओमप्रकाश पुत्र चेतनराम जाति चमार निवासी कलासर तहसील रावतसर।

––रेस्पोडेन्टस

अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 17.02.81 न्यायालय जिलाधीश श्रीगंगानगर

प्रकरण संख्या 168/76 अनवानी मु0 जुड़ाव बनाम मुलाराम आदि

उपस्थित :–

श्री हरीसिंह सिहाग अधिवक्ता अपीलाण्ट

श्री खुशकरण सिंह खोसा राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेंट सं. 1

निर्णय दिनांक –16.01.2018

1. प्रकरण में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलांट को भूमिहीन काश्तकार था राज्य सरकार ने गांव कलासर तहसील नोहर का रकबा खसरा नं. 340 के 9.05 बीघा अलॉट की गई। रेस्पोडेण्ट सं. 1 ने न्यायालय जिलाधीश के समक्ष एक प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 11(14) उपनिवेशन अधिनियम का पेश किया। जिसमे अपीलांट को किये गये आवंटन को खारिज किये जाने का अनुतोष चाहा गया। न्यायालय जिलाधीश द्वारा प्रार्थना–पत्र को स्वीकार करते हुए अपीलांट के आवंटन को निरस्त कर दिया, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है। जिसे दिनांक 21.07.81 को मियाद अधिनियम पर खारिज कर दिया गया जिसके

विरूद्ध माननीय राजस्व मण्डल अजमेर मे निगरानी पेश की गई जो स्वीकार होकर प्रकरण राजस्व अपील प्राधिकारी श्रीगंगानगर को रिमाण्ड किया गया। राजस्व अपील प्राधिकारी श्रीगंगानगर से पत्रावली प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पो0 सं. 2/1 व 2/2 बाद तामील उपस्थित न आने के कारण इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई गई।

2. उभय पक्ष विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलाधीन निर्णय दिनांक 17.02.81 गलत व खिलाफ कानून है। रकबा का अलॉटमेंट बाद जांच जायज तौर पर सही किया गया है। अपीलांट ने किसी भी प्रकार से अलॉटमेंट संबंधी तथ्य को छुपाया नही है। विचारण न्यायालय ने अलॉटमेंट निरस्त करने का कोई भी कारण अंकित नही किया है और ना ही अपीलांट को साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर दिया गया। पत्रावली पर मु0 जुडाव ने कोई भी ऐसा सबूत पेश नही किया जिससे यह माना जावे कि अपीलांट ने कोई तथ्य छुपा कर रकबा अलॉट करवाया हो। अपीलांट के अधिवक्ता द्वारा ना तो अपीलांट को पेश होने बाबत कोई सूचना दी और ना ही अपीलांट को सुना गया है। अपीलांट को अगर सुनवाई व जवाबदेही का अवसर दिया जाता है तो अलॉटमेंट किसी भी प्रकार से निरस्त नही होता। विचारण न्यायालय ने मु0 जड़ाव का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 11(14) उपनिवेशन अधिनियम कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन मानकर निर्णय करने मे अहम भूल की है। अपीलांट के पास किसी भी प्रकार से रकबा ना तो अधिक है और ना ही किसी प्रकार से ऐसा है कि अपीलांट राजस्थान का निवासी ना हो। अधिवक्ता अपीलांट ने बहस के अन्त मे कथन किया कि अपीलांट को अपीलाधीन निर्णय का ज्ञान नही था क्योंकि अपीलांट ने अपना अधिवक्ता नियुक्त किया हुआ था समस्त जानकारी अपीलांट को वकील को रही है। अपीलांट विचारण न्यायालय मे उपस्थित नही हुआ है। समस्त कार्यवाही वकील के जरिये की जा रही थी। इसलिए अपील ज्ञान से अन्दर मियाद समझी जावे। अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस के समर्थन मे आरबीजे 2004 पेज 169 से 174, आरबीजे 2008 पेज 693 से

701, आरआरडी 2010 पेज 78 से 81 न्यायिक दृष्टांत पेश किये। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय खारिज किया जावें।

4. राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 1 ने अपनी बहस मे कथन किया कि प्रकरण मे विधि अनुसार निर्णय पारित करते हुए प्रकरण का निस्तारण किया जावें।

5. उभयपक्ष विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अभिभाषक द्वारा न्यायिक दृष्टांतो का ससम्मान अध्ययन किया गया। वादग्रस्त भूमि मौजा कलासर के खसरा नं. 333 की 14 बीघा 16 बिस्व व खसरा नं. 340 की 9 बीघा 5 बिस्वा भूमि अपीलांट मांगी खा व मूलाराम पुत्र पदमाराम को अलॉट की गई थी जिसके विरूद्ध रेस्पो0 सं. 2 द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 11(14) उपनिवेशन अधिनियम पेश कर उक्त आवंटन निरस्त किये जाने का अनुतोष चाहा गया। जिसमे तहसीलदार चूरू से रिपोर्ट पेश हुई कि मूलाराम पुत्र पदमा जाति मेघवंशी साकिन रिडावलाा तहसील चूरू के स्वयं के नाम ग्राम रिडाला मे कुल 26 बीघा 18 बिस्वा भूमि है। तहसीलदार नोहर से रिपोर्ट पेश हुई कि मूलाराम पुत्र पदमाराम को मौजा कलासर मे खसरा नं. 333 की 14 बीघा 16 बिस्वा रकबा गैर खातेदार है इसके अलावा स्वयं के नाम एवं पिता के नाम किसी प्रकार का रकबा नही है तथा मांगी खां पुत्र बलूखां को मौजा कलासर मे खसरा नं. 340 की 9 बीघा 5 बिस्वा गैर खातेदारी रकबा है इसके अलावा स्वयं और पिता के नाम किसी प्रकार का कोई रकबा नही है। उपरोक्तानुसार तहसीलदार रिपोर्ट आने के पश्चात विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांट के वकील हाजिर नही होने का अंकन करते हुये अपीलाधीन आदेश के जरिये मूलाराम के नाम ग्राम रिडावला जिला चूरू मे भूमि मानते हुए मूलाराम द्वारा भूमिहीन बताकर गलत तथ्य प्रस्तुत कर रकबा अलॉट करवाया हुआ माना और अपीलांट को इस आधार पर गलत माना कि प्रकरण मे ना तो अपीलांट के वकील उपस्थित आये और ना ही अपीलांट ने कोई जवाब प्रस्तुत किया इसलिए मांगीखां पर लगाये आक्षेप भी सही साबित होते है। इसप्रकार विचारण न्यायालय द्वारा मूलाराम के साथ साथ अपीलांट मांगीखां का अलॉटमेंट भी निरस्त कर दिया गया है। जबकि उक्त प्रकरण मे मांगीखां के संबंध मे रिपोर्ट प्रस्तुत हुई जिसके अनुसार उक्त अलॉटशुदा रकबा के

अलावा उसके पास कोई रकबा नही है यानि भूमिहीन है। ऐसी स्थिति मांगीखां के अलॉटमेंट की हद तक अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जाना न्यायोचित है।

6. अतः उक्त विवेचन अनुसार अपील अपीलांट स्वीकार योग्य होने के कारण अपील स्वीकार की जाकर न्यायालय जिलाधीश श्रीगंगानगर के प्रकरण संख्या 168/76 अनवानी मु0 जुड़ाव बनाम मूलाराम आदि मे पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 17.02.81 को मौजा कलासर के खसरा नं. 340 के 9 बीघा 05 बिस्वा रकबा मांगीखां के अलॉटमेंट की हद तक निरस्त किया जाता है तथा मौजा कलासर के खसरा नं. 340 के 9 बीघा 05 बिस्वा रकबा का मांगी खां पुत्र बलूखां के अलॉटमेंट की अपीलाधीन आदेश से पूर्व की स्थिति बहाल की जाकर तद्नुसार राजस्व रिकार्ड मे अंकन किये जाने के आदेश दिये जाते है। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित लौटाई जावें।

निर्णय आज दिनांक 16.01.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हरभान मीणा) आर.ए.एस.
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ़